

राजस्थान सरकार  
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर - 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई मेल aao1.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प2 (क)/अलेसे । लिंक न. 1910 / 222

दिनांक :- 19/05/2017

कार्यालय आदेश

श्री /श्रीमती / सुश्री गुलाब चन्द शर्मा [लिंक नं. 1910] सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - प्रथम कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, अलवर - [20201] जिनकी जन्म तिथि 15/09/1959 है, ने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 09/08/2017 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु अनुरोध किया है।

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996, के नियम 50 (1) के अन्तर्गत इन्हें दिनांक 09/08/2017 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत की जाती है।

श्री गुलाब चन्द शर्मा की राजकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 25/11/1988 है।

वित्त (नियम) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प. 12(6)वित्त/नियम/2008 दिनांक 24.03.2015 के क्रम में यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री गुलाब चन्द शर्मा के विरुद्ध आज तक :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अंतर्गत कोई विभागीय जांच विचाराधीन/ लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 19 के अंतर्गत कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/ लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/ लम्बित नहीं हैं।

(पंकज पाटनी)  
निदेशक

क्रमांक :- प2 (क)/अलेसे । लिंक न. 1910 / 222

दिनांक :- 19/05/2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग राजस्थान जयपुर
2. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग .....
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, अलवर
4. कोषाधिकारी अलवर
5. श्री /श्रीमती / सुश्री गुलाब चन्द शर्मा [1910] सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - प्रथम कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, अलवर
6. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
7. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली / पदस्थापन सीट / वरिष्ठता सीट

(बलवीर सिंह गोठवाल)  
(अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक I))